

ICDS/20010/08-2026

बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग

पत्र संख्या-

स्वीकृत्यादेश
(संख्या /2026-27)

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक -.....

विषय:-

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य में संचालित ऑगनबाडी केन्द्रों पर कार्यरत सेविका/सहायिका के माह अगस्त तक के मानदेय एवं आईसीडीएस निदेशालय, सभी जिला प्रोग्राम कार्यालय तथा बाल विकास परियोजना कार्यालयों में कार्यरत सांख्यिकी सहायक, महिला पर्यवेक्षिका, डाटा इन्ट्री ऑपरेटर आदि के माह नवम्बर, 2026 तक के मानदेय भुगतान हेतु राज्य स्कीम के तहत संबंधित विभिन्न मदों में बिहार आकस्मिकता निधि से प्राप्त कुल राशि रु० 477.00 लाख (चार सौ सतहत्तर करोड) मात्र के व्यय की स्वीकृति।

आदेश :

स्वीकृत।

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य में संचालित ऑगनबाडी केन्द्रों पर कार्यरत सेविका/सहायिका के माह अगस्त तक के मानदेय एवं आईसीडीएस निदेशालय, सभी जिला प्रोग्राम कार्यालय तथा बाल विकास परियोजना कार्यालयों में कार्यरत सांख्यिकी सहायक, महिला पर्यवेक्षिका, डाटा इन्ट्री ऑपरेटर आदि के माह नवम्बर, 2026 तक के मानदेय भुगतान हेतु राज्य स्कीम के तहत संबंधित विभिन्न मदों में बिहार आकस्मिकता निधि से प्राप्त कुल राशि रु० 477.00 लाख (चार सौ सतहत्तर करोड) मात्र के व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है। उक्त स्वीकृत राशि से संबंधित शीर्षवार विवरण निम्नरूपेण है -

(राशि करोड में)

बजट शीर्ष	विषय शीर्ष	स्वीकृत राशि
मुख्य शीर्ष 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, उप मुख्यशीर्ष 02- समाज कल्याण, लघु शीर्ष 102-बाल कल्याण, उप शीर्ष 0123-ऑगनबाडी सेवाएँ, विपत्र कोड 51-2235021020123	02.01-मजदूरी/मानदेय	427.00
	28.02-संविदा सेवाएँ	38.00
मुख्य शीर्ष 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, उप मुख्यशीर्ष 02- समाज कल्याण, लघु शीर्ष 102-बाल कल्याण, उप शीर्ष 0105-मैनेजमेंट इन्फोमेशन सिस्टम, विपत्र कोड 51-2235021020105	28.02-संविदा सेवाएँ	12.00
कुल योग (रु० चार सौ सतहत्तर करोड) मात्र		477.00

2. स्वीकृत राशि की निकासी एवं व्ययन हेतु आईसीडीएस निदेशालय (मुख्यालय) स्तर पर निदेशक, आईसीडीएस निदेशालय, जिला/प्रखण्ड स्तर पर सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी/बाल विकास परियोजना पदाधिकारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी घोषित हैं।
3. उक्त स्वीकृत राशि के विरुद्ध आईसीडीएस निदेशालय द्वारा निर्गत आवंटनादेश के आधार पर ही राशि की निकासी एवं व्ययन किया जायेगा। इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु बिहार वितीय नियमों का पालन करने की जिम्मेवारी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
4. राशि की निकासी एवं व्ययन वित्त विभाग के पत्रांक - 12888/वि० दिनांक-03.12.2024, 236/वि० दिनांक 09.03.2026, 2956/वि० दिनांक 25.03.2026, 314/वि० दिनांक 01.04.2026 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य अनुदेशों/परिपत्रों के अनुसार किया जायेगा।
5. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर संचिका संख्या- ICDS/20010/08-2026 के टिप्पणी पृष्ठ संख्या -21/टि० पर दिनांक 30.09.2026 को आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
6. यह स्वीकृत्यादेश संचिका संख्या- ICDS/20010/08-2026 के टिप्पणी पृष्ठ संख्या- 21/टि० पर दिनांक- 30.09.2026 को सचिव, समाज कल्याण विभाग के अनुमोदनोपरान्त निर्गत की जा रही है।
7. यह चालू योजना है। अतः महालेखाकार, बिहार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

विश्वासभाजन

ह०/-

संयुक्त सचिव,

समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांक- ICDS/20010/08-2026

/5509...../दिनांक- 30.09.26

प्रतिलिपि -महालेखाकार (लेखा परीक्षा) बिहार, पटना/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/संयुक्त सचिव, वित्त विभाग (बजट शाखा)/विशेष कार्य पदाधिकारी, समाज कल्याण विभाग (बजट शाखा)/निदेशक, आईसीडीएस निदेशालय/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, आईसीडीएस निदेशालय/सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी/बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-

संयुक्त सचिव,

समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांक- ICDS/20010/08-2026

/5509...../दिनांक- 30.09.26

प्रतिलिपि -कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-

संयुक्त सचिव,

समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांक- ICDS/20010/08-2026

/5509...../दिनांक- 30.09.26

प्रतिलिपि -विभागीय आई०टी० मैनेजर को सूचनार्थ। स्वीकृत्यादेश की प्रति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव,

समाज कल्याण विभाग।